

**:: न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0 ::**

**(समक्ष:- वीरेन्द्र सिंह राजपूत)**

**सत्र प्रकरण क्रमांक 303/2016**

**संस्थापन दिनांक 19.10.2016**

मध्य प्रदेश शासन जरिये आरक्षी केन्द्र एण्डोरी, जिला भिण्ड म0प्र0

.....अभियोगी

**॥ वि रु द्ध ॥**

धर्मेन्द्र बाल्मीक पुत्र फूलसिंह बाल्मीक, उम्र 25 वर्ष,  
निवासी मालनपुर थाना मालनपुर, जिला भिण्ड म0प्र0

.....आरोपी

अभियोगी द्वारा – श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक  
अभियोजक।

अभियुक्त द्वारा- श्री अखिलेश समाधिया अधिवक्ता।

**॥ निर्णय ॥**

**(आज दिनांक 02-06-2017 को घोषित किया गया)**

टीपः प्रकरण में आरोपी पर अभियोगी के साथ लैंगिक हमला/व्यपहरण किये जाने का आरोप है, ऐसी स्थिति में निर्णय में अभियोगी का नाम नहीं लिखा जाकर, अभियोगी के नाम के प्रथम अंग्रेजी अक्षर अर्थात् अभियोगी "पी" लिखा जा रहा है।

01. प्रकरण में आरोपी पर आरोप है कि दिनांक 26.07.2016 को 13:00 बजे फरियादी का मकान ग्राम कंचनपुरा थाना एण्डोरी में अभियोगी जिसकी उम्र 18 साल से कम थी को उसके विधिपूर्ण संरक्षक उसके पिता की सम्मति के बिना ले गए/बहलाकर ले जाने एवं उक्त नावालिग पीडिता का व्यपहरण/अपहरण अयुक्त संभोग करने के लिए उसे विवश या विलुब्ध कर या यह संभाव्य जानते हुए कि अयुक्त संभोग करने के लिए उसे विवश या विलुब्ध किया जाएगा उसका व्यपहरण किया। इस संबंध में आरोपी पर भा.द.वि की धारा 363, 366क के अंतर्गत आरोप है।

02. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार से रहा है कि दिनांक 26.07.2016 को कचनूपर निवासी राजेन्द्र बाल्मीक द्वारा अपनी बहन (अभियोक्त्री) के बिना बताए घर से चले जाने के संबंध में रिपोर्ट लिखाई गई थी जो कि गुमइंसान सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। गुमइंसान रिपोर्ट की जाँच के दौरान साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए और अभियोक्त्री की उम्र के संबंध में कक्षा दसवी की मार्कशीट की छायाप्रति की जप्ती की गई जिस पर से अभियोक्त्री को नावालिग होना पाते हुए अप0क्र0 101/16 धारा 363 अज्ञात आरोपी के विरुद्ध दर्ज किया गया। प्रकरण की विवेचना के दौरान दिनांक 18.08.2016 को बस स्टेण्ड ग्वालियर से अभियोक्त्री को दस्तयाव किया गया। अभियोक्त्री के कथन लेखबद्ध किए गए। घटना में आरोपी धर्मेन्द्र के लिप्त होने से उसे गिरफ्तार किया गया, अभियोक्त्री के धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन लेखबद्ध किए गए। दौरान विवेचना धारा 366 भा0दं0वि0 का इजाफा किया गया। अभियोक्त्री को नारी निकेतन भेजा गया। प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोगपत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जो कि कमिट उपरांत माननीय सत्र न्यायालय द्वारा इस न्यायालय को विचारण हेतु प्राप्त हुआ।

03. आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363, 366क का अपराध पाये जाने से आरोप विरचित कर आरोपी को पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार करते हुये विचारण चाहा। तत्पश्चात् अभियोजन की ओर से अपने मामले को प्रमाणित करने के लिये अभियोक्त्री पूजा बाल्मीक (अ0सा0 1), राजेन्द्र (अ.सा. 2), लक्ष्मणशरण त्रिपाठी (अ.सा. 3), दीपशिखा सिंह (अ.सा. 4), विकास बाल्मीक (अ.सा. 5), रजनी वाल्मीक (अ.सा. 6), बाल्मीक चौबे (अ.सा. 7) का परीक्षण कराया गया

04. आरोपी का द.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में आरोपी ने अपने-आप को निर्दोष होना व्यक्त करते हुए झूठा फँसाया जाना अभिकथित किया तथा बचाव में कोई साक्षी प्रस्तुत नहीं किया है।

05. इस प्रकरण के निराकरण के लिये निम्न विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होता है:-

1.	क्या अभियोक्त्री 'पी' दिनांक 26.07.2016 को 18 वर्ष से कम आयु की थी?
2.	क्या आरोपी ने घटना दिनांक 26.07.2016 को अभियोक्त्री 'पी' का उसके माता पिता की संरक्षकता से हटाकर व्यपहरण किया?
3.	क्या उक्त आरोपी ने उक्त व्यपहरण इस आशय से किया कि वह अवयस्क अभियोक्त्री को अयुक्त संभोग के लिए वाध्य या विवश करेगा?
4.	दण्डादेश यदि कोई हो तो?

### ॥ साक्ष्य का विश्लेषण एवं सकारण निष्कर्ष ॥

नोट:- उक्त सभी विचारणीय प्रश्न आपस में एक-दूसरे से संबंधित हैं, तथ्यों एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए सभी विचारणीय प्रश्नों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है।

06. अभियोजन कथानक अनुसार अभियोक्त्री दिनांक 26.07.2016 को घर से बिना बताए कहीं चली गई थी इस तथ्य की पुष्टि साक्षी राजेन्द्र अ0सा0 2 के द्वारा अपने कथनों में की गई है। इस साक्षी का यह भी कहना रहा है कि उसने पुलिस थाने में जाकर गुम इंसान सूचना प्र.पी. 2 लेख कराई थी। इस आशय के कथन साक्षी विकास बाल्मीक अ0सा0 5 के भी रहे हैं। साक्षी बाल्मीक चौबे अ0सा0 7 ने अपने कथनों में इस तथ्य की पुष्टि की है कि दिनांक 17.08.2016 (दिनांक 17.08.16 त्रुटिपूर्ण टाइप, वास्तविक तिथि 26.07.16) को फरियादी राजेन्द्र बाल्मीक ने अपनी बहन अभियोक्त्री 'पी' के घर से बिना बताए चले जाने के संबंध में गुम इंसान रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

07. साक्षी बाल्मीक चौबे अ0सा0 7 का अपने कथनों में कहना रहा है कि उसने दिनांक 18.09.2016 को अभियोक्त्री को ग्वालियर बस स्टेण्ड से दस्तयाव किया था, जिसका दस्तयावी पंचनामा प्र.पी. 1 बनाया था। इस तथ्य की पुष्टि साक्षी रजनी बाल्मीक अ0सा0 6, राजेन्द्र अ0सा0 2 के द्वारा अपने कथनों में की गई है।

08. साक्षी विकास बाल्मीक अ0सा0 5 का अपने कथनों में कहना रहा है कि उन्हें संदेह था

कि आरोपी धर्मेन्द्र अभियोक्त्री को भगाकर ले गया है। इसी आशय के कथन रजनी बाल्मीक अ0सा0 6 के रहे हैं।

09. अभियोजन की ओर से अभियोक्त्री 'पी' का घटना दिनांक को 18 वर्ष से कम आयु की होने के संबंध में आधार लिया गया है। इस संबंध में अभियोजन साक्षी लक्ष्मणशरण त्रिपाठी अ0सा0 3 का परीक्षण कराया गया है। इस साक्षी का अपने कथनों में कहना रहा है कि उनके विद्यालय में अभियोक्त्री 'पी' ने कक्षा 1 में दाखिला लिया था और प्रवेश की पंजी क्रमांक 269 पर अभियोक्त्री की जन्मतिथि 08.08.1998 लेख है।

10. इस साक्षी का बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण किया गया है और सूचक प्रश्नों के माध्यम से इस साक्षी के समक्ष प्रश्न रखे जाने पर इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि अभियोक्त्री के भर्ती करते समय उसका कोई जन्मप्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया था। माता पिता ने जो जन्मतिथि बताई थी वह अंकित की थी।

11. व्यपहरण संबंधी मामलों में पीडित की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाए इस संबंध में कोई विषिष्ट प्रारूप या नियमावलि विधायका द्वारा विहित नहीं की गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने नवीन न्यायिक दृष्टांत **जर्नेलसिंह विरूद्ध हरियाणा राज्य, 2013(7) एस. सी.सी. 263** में यह अभिनिर्धारित किया है कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत दर्ज प्रकरणों में अभियोक्त्री की आयु किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2007 के नियम 12 के अनुसार निर्धारित की जाना चाहिए। नियम 12 के अनुसार आयु के संबंध में मैट्रिक या समकक्ष प्रमाणपत्र यदि उपलब्ध हो, उसके उपलब्ध ना होने पर जहां बालक पहली बार स्कूल गया, उस स्कूल के जन्म प्रमाणपत्र के आधार पर, तत्पश्चात जन्म प्रमाणपत्र के आधार पर आयु निर्धारित की जाना चाहिए, संबंधी प्रावधान हैं।

12. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2007 के नियम 12 यह स्पष्ट

प्रावधान करती है कि सर्वप्रथम अभियोक्त्री की मेट्रिकुलेशन या हाई स्कूल की अंकसूची में जन्मतिथि देखी जाएगी और यदि वह उपलब्ध नहीं होता है तो न्यायालय आगामी उपबंधों पर विचार करेगी।

13. विवेचनाधिकारी बाल्मीक चौबे अ0सा0 7 का अपने कथनों में कहना रहा है कि उसने पीडित अभियोक्त्री की मार्कशीट जप्त की थी और जप्ती पत्रक प्र.पी. 3 बनाया था। प्र.पी. 3 के जप्तीपत्रक में अभियोक्त्री की हाई स्कूल की मार्कशीट की छायाप्रति जप्त होने का उल्लेख है। प्रकरण में रिकार्ड के साथ अभियोक्त्री के हाई स्कूल की अंकसूची की फोटोप्रति संलग्न है, किन्तु अभियोजन की ओर से उक्त अंकसूची की मूल प्रति प्रस्तुत नहीं की है, न ही अन्य किसी तरीके से प्रकरण में प्रस्तुत हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा की अंकसूची प्रमाणित कराई है। ऐसी स्थिति में रिकार्ड में संलग्न ऐसा दस्तावेज जिस पर बचाव पक्ष को प्रतिपरीक्षण करने का अवसर उपलब्ध नहीं हुआ है जो दस्तावेज प्रदर्शित नहीं किया गया हो उसे साक्ष्य में नहीं पढ़ा जा सकता है।

14. प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्र.पी. 4 का भर्ती रजिस्टर प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में साक्षी लक्ष्मणशरण त्रिपाठी अ0सा0 3 के कथन रिकार्ड पर है जिसने अभियोक्त्री की जन्मतिथि 08.08.1998 लिखी होने संबंधी कथन किए हैं, किन्तु साथ ही साक्षी यह भी स्वीकार किया है कि अभियोक्त्री की जन्मतिथि किसी दस्तावेज के आधार पर लेख नहीं की गई थी, बल्कि अभियोक्त्री के माता पिता के बताए अनुसार लेख की थी।

15. इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के अपने न्याय दृष्टांत आत्माराम विरुद्ध म.प्र. राज्य 2015 (1) एम.पी.जे.आर. (सी.जी) 91 में यह अभिमत रहा है कि स्कूल के रजिस्टर में जो जन्म तिथि लिखाई, उसका कोई स्रोत नहीं है और ऐसी जन्मतिथि कल्पना के आधार पर दर्ज की जाती है, जो विश्वास योग्य नहीं है। इस संबंध में माननीय म.प्र.उच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत रघुवीरप्रसाद विरुद्ध म.प्र.राज्य 2015 (2) सी.डी.एच.सी.735 (म.प्र.) अवलोकनीय है।

16. अतः प्रकरण में अभियोक्त्री की आयु के संबंध में जो साक्ष्य प्रस्तुत की गई है वह



निश्चायक प्रकृति की नहीं है, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि घटना दिनांक को अभियोक्त्री 18 वर्ष से कम आयु की थी।

17. घटना के संबंध में यदि प्रकरण में उपलब्ध साक्षियों के कथनों का अवलोकन किया जाए तो साक्षी ग्वालियर में आरोपी एवं अभियोक्त्री के साथ आने एवं दस्तयाब होने संबंधी कथन करते हैं। इस संबंध में प्रकरण में उपलब्ध अभियोक्त्री 'पी' अ.सा. 1 के कथनों का अवलोकन किया जाए तो इस साक्षी का अपने कथनों में कहना रहा है कि घटना दिनांक 26 जुलाई, 2016 को दोपहर के एक बजे उसकी घर अपने भाई और भाभी से लड़ाई हो गई थी और उन्होंने उसकी मारपीट कर दी थी और उससे कहा कि तुम काम नहीं करती हो तो वह मारपीट होने से गुस्से में घर से निकल गई थी और गांव से पैदल चलकर कचनपुर की पुलिया पर गई, वहाँ से ऑटो में बैठकर बाराहेट पेडा पर पहुँची।

18. अभियोक्त्री 'पी' अ0सा0 1 का आगे अपने कथनों में यह भी कहना रहा है कि वह बस में बैठकर ग्वालियर जा रही थी और जैसे ही वह मालनपुर पहुँची तो वहाँ बस रुकी तो उसे फल के टेले पर धर्मेन्द्र दिखा तो अभियोक्त्री बस से नीचे उतर गई और धर्मेन्द्र को पूरी बात बताई, तब आरोपी धर्मेन्द्र ने उससे कहा कि तुम कहीं मत जाओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ तो अभियोक्त्री ने आरोपी से कहा कि वह घर नहीं जाएगी भले ही अकेली भाग जाए। फिर उसने आरोपी धर्मेन्द्र को साथ जाने के लिए मजबूर कर लिया तो आरोपी साथ जाने के लिए तैयार हो गया।

19. अभियोक्त्री 'पी' अ0सा0 1 का अपने कथनों में यह भी कहना रहा है कि वह धर्मेन्द्र को लेकर ग्वालियर रेल्वेस्टेशन पहुँची वहाँ पर एक रात रुकी, वहाँ से ट्रेन में बैठकर भोपाल गए गए थे वहाँ दो दिन रुके थे फिर भोपाल से ट्रेन से पुणे गए थे जहाँ पर स्टेशन के पास ही आरोपी ने मंत्रा होटल में साफ सफाई की और करीब 7 दिन स्टेशन पर रुके थे। फिर पुणे से वह दिल्ली आए थे और दिल्ली स्टेशन पर 7 दिन तक रुके थे। फिर जब दिल्ली से आरोपी ने अपने घर फोन लगाया तो पुलिस वाले आरोपी के घर वालों को परेशान कर रहे थे तो डर के कारण आरोपी उसे

लेकर ग्वालियर आ गया था जो ग्वालियर बस स्टैंड पर घर वाले और पुलिस वाले मिल गए थे जो उन्हें पकड़कर थाने ले गए थे।

20. आरोपी पर अवयस्क अभियोक्त्री को उसके माता पिता की संरक्षकता से हटाने का आरोप है। प्रकरण में अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल नहीं रहा है कि अभियोक्त्री घटना दिनांक को 18 वर्ष से कम आयु की थी। फिर भी यदि आरोपी द्वारा अभियोक्त्री को ले जाने संबंधी तथ्य पर विचार किया जाए तो अभियोक्त्री का ऐसा कहना नहीं रहा है कि आरोपी उसे लेकर गया था अथवा आरोपी ने किसी प्रकार का प्रलोभन, प्रोत्साहन, उत्प्रेरण, धमकी या कोई ऐसी प्रवंचना दी हो जिसके वशीभूत होकर अभियोक्त्री आरोपी के साथ गई हो।

21. अभियोक्त्री का अपने कथनों में यह स्पष्ट कहना रहा है कि घर पर उसकी भाई व भाभी द्वारा मारपीट करने के कारण वह गुस्से में घर से चली गई थी और मालनपुर पर फल के टेली पर आरोपी मिला जहाँ आरोपी ने उससे कहा था कि वह घर चली जाए वह छोड़ देगा, किन्तु अभियोक्त्री स्वयं आरोपी को मजबूर कर साथ ले गई थी। अभियोक्त्री अपने कथनों में किसी भी स्थान पर ऐसा कहना नहीं रहा है कि ग्वालियर, भोपाल, पूना व दिल्ली में साथ रहने के दौरान किसी भी दिन आरोपी ने अभियोक्त्री के साथ कोई लैंगिक हमला या इस प्रकृति की श्रेणी में आने वाला कोई कृत्य किया हो। अभियोक्त्री का स्वयं अपने कथनों में यह कहना रहा है कि वह स्वयं घर से गई थी और वह आरोपी को बाध्य कर अपने साथ ले गए थी।

22. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363 के अंतर्गत दोषसिद्धि के लिये प्रयुक्त शब्द "बहलाकर ले जाता है", यह अपेक्षा करता है कि अभियुक्त ने पीड़िता को उसके विधिपूर्ण संरक्षक के घर छोड़ने के लिये क्रियाशील रोल निभाते हुये योगदान दिया। इस प्रश्न को कि क्या अभियुक्त ने पीड़िता को विधिपूर्ण संरक्षकता से हटाया, निम्न तथ्यों पर विचार किया जाना होता है:-

1. क्या उक्त लड़की पर्याप्त परिपक्वता प्राप्त कर चुकी थी?
2. क्या अपने संबंध में सोचने-समझने की बौद्धिक क्षमता रखती थी?, तथा

### 3. उसने किस उद्देश्य से अभियुक्त के साथ जाना उचित समझा?

23. वर्धा राजा विरुद्ध मद्रास राज्य ए0आई0आर0 1965 (एस0सी0) 942

सुप्रीम कोर्ट में यह मत अभिनिर्धारित किया कि जहाँ लड़की व्यस्कता की आयु प्राप्त करने वाली थी, वह स्वयं आरोपी के साथ गई और आरोपी के साथ विवाह करने के लिए घर छोड़ा वहाँ यह नहीं कहा जा सकता कि आरोपी लड़की को विधिपूर्ण संरक्षता से ले गया, बल्कि यह कहा जावेगा कि लड़की अपनी मर्जी से गई। और माननीय न्यायालय ने इस आशय का भी मत दिया है कि विधि आरोपी पर यह कर्तव्य अधिरोपित नहीं करता कि अभियुक्त लड़की को उसे पिता के घर वापस ले जाये, विधि यह भी अपेक्षा नहीं करता कि वह लड़की से कहे कि वह उसके साथ नहीं आवे। माननीय न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि “ले जाने” तथा नाबालिग को किसी के साथ जाने देने में विभेद है और दोनों ही पर्यायवाची नहीं हैं जब कोई नाबालिग अपने पिता की छत्र-छाया यह जानते हुए और पूरी तरह यह समझने की योग्यता अथवा क्षमता रखते हुए की वह जो कुछ कर रही है उसका परिणाम समझती है। स्वेच्छा किसी अभियुक्त के साथ जाती है तब यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त उसे विधिपूर्ण संरक्षता से ले गये हैं।

24. अतः प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से ही जो कि अभियोजन का मामला है अभियोक्त्री का स्पष्ट अपने कथनों में कहना रहा है कि वह स्वयं आरोपी को लेकर गई थी। ऐसी स्थिति में अभियुक्त अभियोक्त्री को बहकाकर ले गया या किसी प्रवंचना के अधीन ले गया प्रमाणित नहीं होता है। यहाँ तक कि अभियोजन यह भी प्रमाणित करने में सफल नहीं रहा है कि अभियोक्त्री घटना दिनांक को 18 वर्ष से कम आयु की थी।

25. अतः उपरोक्त निष्कर्षित एवं विश्लेषित परिस्थितियों में अभियोजन आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है।

26. परिणामतः आरोपी धर्मेन्द्र को आरोपित अपराध धारा 363, 366क भा.द.वि के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।



27. आरोपी धर्मेन्द्र जमानत पर है उसके जमानत मुचलके उन्मोचित किए जाते है।
28. आरोपी के निरोध में रहने के संबंध में धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रमाण पत्र तैयार कर प्रकरण के साथ संलग्न किया जावे।
29. प्रकरण में निराकरण योग्य कोई सम्पत्ति जप्त नहीं है।
30. निर्णय की एक प्रति अपर लोक अभियोजक के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट भिण्ड को भेजी जावे।

(निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया )

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)  
अपर सत्र न्यायाधीश  
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)  
अपर सत्र न्यायाधीश  
गोहद, जिला भिण्ड (म0प्र0)